



2026:AHC:12793

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34964 / 2025

आमिर @ लाल

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: सुशील कुमार पाण्डेय,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. श्री सुशील कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से तथा राज्य की ओर से श्री एस.के. राय, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 83 सन् 2025, धारा 305(ए) बी.एन.एस. तथा धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है तथा उसे उक्त वाद में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 25.06.2025 से निरुद्ध है। यह भी कहा गया कि आवेदक को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया तथा उसका नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के दौरान प्रकाश में आया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त ऐरफ उर्फ लाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2025 के आदेश से जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उसे जमानत मिल चुकी है तथा उनका स्पष्टीकरण पूरक शपथ-पत्र के माध्यम से दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक के न्याय से पलायन करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कोई संभावना नहीं है यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका तथा प्रथमदृष्टया स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत दिए जाने का मामला बनता है।
6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
7. अतः अभियुक्त-आवेदक **आमिर @ लाल** को उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—
 - (i) आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
 - (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 - (iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से छूट न कर दी जाए।
8. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)